



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-III, ईस्ट किडवाई नगर नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



संख्या. मा.सं.प्र.-I/पी-141(17)2025/स.भ.नि.आ./ई-947653/666

दिनांक: 19.06.2025

कार्यालय आदेश

विषय: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में तदर्थ आधार पर सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए 14.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की संस्तुति के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में तदर्थ आधार पर निम्नलिखित नियमित ईओ/एओ/एसओ को सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी जाती है:-

क्र.संख्या	दिनांक 30.08.2023 की वरिष्ठता सूची के अनुसार	नाम- श्री/श्रीमती/कु.	ई-आईडी
1.	393	यू श्रीनिवास राव	यूयू200166017100495
2.	395	सुरभि जैन	एसए180375112020798
3.	396	पंकज कुमार	पीवी051073008170698
4.	एस.ओ.- 3	ब्रिज मोहन खंतवाल	बीजे040371124201295
5.	398	पीवीआरएस सरमा	पीपी220667106310594
6.	एस.ओ.- 5	इंदु तोमर	आईजे130271113021194
7.	495	वाई सुन्दर राव	वाईवाई250768115041093
8.	500	अभय धनंजय रामटेके	एडी221068073141294
9.	508	एके बाबरेकर	एके081070096180991
10.	एस.ओ.-7	जगदीश सिंह	जेएस181270124241194
11.	528	के एलानगोवन	केके200569084030898
12.	399	धीरज कुमार	डीके270775034220698

2. अगले आदेश तक अधिकारी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत बने रहेंगे। तदर्थ पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. जब तक सीलबंद लिफाफे के मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है या ग्रेड में नियमित रिक्तियां उत्पन्न नहीं होती हैं, जो भी पहले हो, तब तक पदोन्नति सीलबंद लिफाफे के मामलों के कारण उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ आधार पर होगी। यदि कोई अधिकारी जिसकी संस्तुति सीलबंद लिफाफे में है, उसे दोषमुक्त कर दिया जाता है और सीलबंद लिफाफा खोला जाता है और अधिकारी पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पदोन्नति

में प्राथमिकता दी जाएगी, यदि कोई हो और यदि इस अधिकारी के लिए कोई रिक्ति नहीं है तो सबसे कनिष्ठ अधिकारी को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

4. वेतन निर्धारण के संबंध में, डीओपीटी के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:
"ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी अंतराल के नियमित नियुक्ति हो जाती है, वहां प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति की तिथि से विकल्प स्वीकार्य होगा, जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना चाहिए।"

5. यह नियुक्ति अन्य सभी पात्र अधिकारियों की वरिष्ठता और नियमित आधार पर पदोन्नति के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी तथा इससे उन्हें नियमित आधार पर पदोन्नति या वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा होगा।

6. स.भ.नि. आयुक्त के रूप में अधिकारियों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट संबंधित नियंत्रण कार्यालय द्वारा rc1.hrm@epfindia.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से मा.सं.प्र.-1, मुख्यालय को भेजी जाएगी।

7. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/16/2019- स्थापना (आरक्षण) दिनांक 12.04.2022 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण लागू किया गया है, लेकिन पदोन्नति आदेश जरनैल सिंह बैच के मामलों के परिणाम के अधीन है, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और जारी किया गया कोई भी पदोन्नति आदेश उक्त मामलों के बैच में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पारित किए जा सकने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगा।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षे.भ.नि.आयुक्त-1 (मा.सं.प्र.-1)

सेवा में

संबंधित अधिकारी

(संबंधित प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि: (क.भ.नि.सं. वेबसाइट के माध्यम से)

1. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव
2. वि.सला.एवं मु.ले.अधि./मु.सत.अधि./ सभी अ.कें.आ.(मुख्य.)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
3. सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
4. क्षे.भ.नि.आयुक्त (प्रशासन) सहित सभी क्षे.भ.नि.आयुक्त-1, मुख्यालय और क्षे.भ.नि.आयुक्त (एनडीसी)
5. मुख्यालय के सभी अधिकारी
6. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा परीक्षा दल
7. संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत फाइलें।
8. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय/गार्ड फाइल।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षे.भ.नि.आयुक्त-1 (मा.सं.प्र.-1)